UPHR010047792024

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

सत्र वाद सं०–1055/2024

सरकार––––बनाम–––नीरज आदि

दिनांकः 07.08.2025

1– पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 104 ब/1

2– उक्त प्रार्थनापत्र प्रार्थिनी अरू मेहरोत्रा पुत्री स्व० कनिष्क मेहरोत्रा की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी उक्त मुकदमे में मृतक कनिष्क मेहरोत्रा की पुत्री है व वादी मुकदमा श्री हर्ष मेहरोत्रा, मृतक कनिष्क मेहरोत्रा के भाई हैं। वादी मुकदमा हर्ष मेहरोत्रा की शादी समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व सक्रिय नेता पम्मू यादव उर्फ पद्मराग यादव की सगी बहन मधुरीमा से हुई है। पम्मू यादव उर्फ पद्मराग यादव के पिता विश्राम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सक्रिय नेता व विधायक भी रहे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उक्त मुकदमे के अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह यादव उर्फ वीरे यादव, समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व सक्रिय नेता हैं। दिनांक 07.05.2025 को वीरेन्द्र सिंह यादव उर्फ वीरे व अन्य अभियुक्त नृपेन्द्र त्रिपाठी, शिखर गुप्ता व आदित्यभान सिंह की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ द्वारा स्वीकृत कर दी गयी और मुल्जिमान के जेल से रिहा होते ही मुकदमा वादी हर्ष मेहरोत्रा मुल्जिम वीरेन्द्र सिंह यादव उर्फ वीरे जरिये पम्मू यादव उर्फ पद्मराग यादव के प्रभाव में आ गये है, क्योंकि उक्त मुकदमे में दर्ज साक्षी आनन्द तैमिनी को वादी मुकदमा ने पूर्व में ही उन्मोचित करने हेतु दिनांक 02.05.2025 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कराया था और दिनांक 28.05.2025 को वादी मुकदमा द्वारा अधिवक्ता बदलते हुए प्रार्थनापत्र दिया गया है कि मेरी बिना सहमति के साक्षी आनन्द तैमिनी को उन्मोचित किये जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रार्थनापत्र के आधार पर दिनांक 14.05.2025 को साक्षी आनन्द तैमिनी को न्यायालय द्वारा उन्मोचित करने का आदेश पारित किया गया है। वादी मुकदमा हर्ष मेहरोत्रा द्वारा दिनांक 28.05.2025 को साक्षी आनन्द तैमिनी को पुनः साक्ष्य हेतु तलब किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि मुकदमा वादी हर्ष मेहरोत्रा, अभियुक्तगण वीरेन्द्र सिंह यादव उर्फ वीरे यादव व अन्य अभियुक्त नृपेन्द्र त्रिपाठी, शिखर गुप्ता व आदित्यभान सिंह के प्रभाव में आकर मुलिजमानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से साक्षी आनन्द तैमिनी का साक्ष्य कराना चाहते है। प्रार्थिनी को अपने चाचा हर्ष मेहरोत्रा (वादी मुकदमा) पर विश्वास नहीं रह गया है कि वह मुकदमे में उचित व सही पैरवी करेंगे। प्रार्थिनी को न्यायहित में मुकदमे की पैरवी हेतु अनुमति दिया जाना

Digitally signed by SANJEEV SHUKLA
Date: 2025.08.07 16:43:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायसंगत है। अतः वादी मुकदमा हर्ष मेहरोत्रा की पैरवी निरस्त करते हुए प्रार्थिनी को मुकदमे की पैरवी करने की अनुमति प्रदान करने की याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

3– उपरोक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध अभियुक्तगण नृपेन्द्र त्रिपाठी, शिखर गुप्ता एवं वीरेन्द्र सिंह यादव उर्फ वीरे की ओर से लिखित 110 ब/1 ता 110 ब/3 प्रस्तुत की गयी, जिसमें यह कथन किए गए हैं कि प्रार्थीगण/आपत्तिकर्तागण उपरोक्त मुकदमा में दौरान विवेचना राजनैतिक लाभ के लिये द्वेषवश राजनैतिक दबाव में अभियुक्त बनाये गये हैं। उपरोक्त मुकदमा में अरू मेहरोत्रा द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांकित 11.06.2025 बाबत निरस्त किये जाने पैरवी वादी मुकदमा व दिये जाने अनुमति बाबत पैरवी अरू मेहरोत्रा पुत्री कनिष्क मेहरोत्रा प्रस्तुत किया गया है। इस प्रार्थनापत्र के विरूद्ध प्रार्थीगण/आपत्तिकर्तागण अपनी आपत्ति श्रीमान जी के समक्ष निम्न रूप से प्रेषित करते हैं — प्रार्थना पत्र के पैरा (एक) में अंकित कथन से प्रार्थीगण/आपत्तिकर्तागण को कोई आपत्ति या तर्क नहीं है। प्रार्थनापत्र के पैरा (दो) में अंकित कथन को सही जानकारी के अभाव में प्रार्थीगण/आपत्तिकर्तागण को कोई आपत्ति या तर्क नहीं है। प्रार्थनापत्र के पैरा (तीन) में अंकित कथन से प्रार्थीगण/आपत्तिकर्तागण को कोई आपत्ति या तर्क नहीं है। प्रार्थनापत्र के पैरा (चार) में अंकित कथन स्वीकार हैं तथा प्रार्थीगण/आपत्तिकर्तागण को कोई आपत्ति या तर्क नहीं है। प्रार्थनापत्र के पैरा (पांच) में अंकित कथन दिनांक 07.05.2025 को प्रार्थीगण/आपत्तिकर्तागण वीरेन्द्र सिंह यादव उर्फ वीरे, नृपेन्द्र त्रिपाठी, शिखर गुप्ता तथा आदित्यमान सिंह की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा स्वीकृत कर दी गयी है, से प्रार्थीगण/ आपत्तिकर्तागण को कोई आपत्ति या तर्क नहीं है, किन्तु प्रार्थनापत्र के पैरा (चार) में अंकित शेष कथन गलत एवं अस्वीकार है। प्रार्थीगण/ आपत्तिकर्ता वीरेन्द्र सिंह यादव उर्फ वीरे तथा पम्मू उर्फ पदमराग सिंह यादव एक ही जाति एक ही क्षेत्र तथा एक ही राजनैतिक दल समाजवादी पार्टी के होने के कारण आपस में भारी राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता है। पम्मू उर्फ पदमराग सिंह से प्रार्थीगण/ आपत्तिकर्तागण के सम्बंध सामान्य नहीं है और प्रार्थीगण/आपत्तिकर्तागण पम्मू उर्फ पदमराग सिंह से किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा नहीं करते है। वादी मुकदमा हर्ष मेहरोत्रा तथा पम्मू उर्फ पदमराग सिंह के आपस में रिश्ता व सम्बंध किस प्रकार के हैं, प्रार्थीगण/ आपत्तिकर्तागण जानकारी के अभाव में कोई आपत्ति या तर्क देने में असमर्थ हैं। प्रार्थनापत्र के पैरा (छ) में अंकित कथन स्वीकार है, किन्तु उक्त साक्ष्य उन्मोचन आदेश दिनांकित 14.05.2025 अभियोजन पक्ष द्वारा गलत तथ्य एवं आधार दर्शा कर तथा प्रार्थीगण/ आपत्तिकर्तागण को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित कराया गया है। प्रार्थनापत्र के पैरा (सात) में अंकित कथन गलत एवं निराधार हैं तथा प्रार्थी आपत्तिकर्तागण को भारी आपत्ति है। प्रार्थीगण/ आपत्तिकर्तागण का वादी मुकदमा हर्ष मेहरोत्रा से कोई सम्बंध सरोकार नहीं है। वादी हर्ष मेहरोत्रा ने उक्त सत्र परीक्षण में प्रार्थीगण/आपत्तिकर्तागण के विरूद्ध अभियोजन साक्षी सं० 1 के रूप में साक्ष्य दिया है तथा लगातार प्रार्थीगण/आपत्तिकर्तागण के विरूद्ध विशेष रूचि लेकर उक्त मुकदमे की पैरवी करता आ रहा है तथा जहां तक प्रश्नगत अभियोजन साक्षी आनन्द तैमिनी

को अभियोजन साक्ष्य परीक्षण से उन्मोचित किये जाने या अभियोजन साक्ष्य में परीक्षण कराये जाने या अभियोजन साक्ष्य में परीक्षण न कराये जाने के सम्बंध में प्रार्थीगण/ आपत्तिकर्तागण गुणदोष के आधार पर कोई टिप्पणी या आपत्ति किये बिना अभियोजन पक्ष के निर्णय का सम्मान करेंगे। उक्त प्रश्नगत अभियोजन साक्षी आनन्द तैमिनी को अभियोजन साक्ष्य से परीक्षण कराये जाने का विवाद अभियोजन पक्ष का आन्तरिक मामला है, जिससे प्रार्थीगण/आपत्तिकर्तागण का कोई सम्बंध सरोकार नहीं है। प्रार्थनापत्र के पैरा (आठ) में अंकित कथन विधि विरूद्ध होने के कारण प्रार्थीगण/आपत्तिकर्तागण को भारी आपत्ति है। वादी मुकदमा हर्ष मेहरोत्रा जोकि मृतक का सगा सहोदर भ्राता है, के जीवित एवं क्रियाशील रहते मृतक के किसी अन्य उत्तराधिकारी को मुकदमे की पैरवी करने की अनुमति दिये जाने का कोई विधिक औचित्य या आधार नहीं है। पैरवी की अनुमति मांगने वाली अरू मेहरोत्रा उक्त मुकदमे की हितबद्ध पीड़ित पक्षकार (Intrested Party) नहीं है, जिस कारण अरू मेहरोत्रा को उक्त मुकदमे की पैरवी की अनुमति दिया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थनापत्र के अंतिम पैरा में की गयी याचना विधि तथा बी०एन०एस०एस० के प्राविधानों के प्रतिकूल होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है तथा निरस्त/अपास्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण/आपत्तिकर्तागण की यह आपत्ति स्वीकार करके अरू मेहरोत्रा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 11.06.2025 निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

4– पक्षकारों एवं अधिवक्तागण को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

5– पत्रावली का परिशीलन किया।

6– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–2 (म) में यह परिभाषित किया गया है कि – *''पीड़ित'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे अभियुक्त के कार्य या लोप के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है और इसके अंतर्गत ऐसे पीड़ित का संरक्षक या विधिक वारिस भी है।''* प्रस्तुत मामले में प्रार्थिनी अरू मेहरोत्रा मृतक कनिष्क मेहरोत्रा की पुत्री है। इस प्रकार उक्त परिभाषा के तहत वह मृतक कनिष्क मेहरोत्रा की विधिक वारिस है और वह विधिक रूप से मुकदमे की पैरवी कर सकती है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी गयी उपरोक्त परिभाषा को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थिनी अरू मेहरोत्रा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 104 ब/1 स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी अरू मेहरोत्रा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 104 ब/1 तदनुसार स्वीकार किया जाता है। प्रार्थिनी अरू मेहरोत्रा को मुकदमे में पैरवी करने की अनुमति प्रदान की जाती है। आपत्ति तदनुसार निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थनापत्र 101 ब मय आपत्ति दिनांक 14.08.2025 को पेश हो।

(संजीव शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।